बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
(निविदा आमंत्रण सूचना)

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में संचालित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में जिन छात्र–छात्रओं को स्टील बक्सा, लोहे का स्टेण्ड तथा ताला चाभी आदि उपलब्ध नहीं है। ऐसे आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के लिए लगभग 20,000 (बीस हजार) स्टील का बक्सा, (गेलभेनाईज सीट से निर्मित), लोहे का स्टेण्ड एवं ताला के दर निर्धारण हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2397 वि0 (2) दिनांक–03.04.2007 के आलोक में बिहार राज्य में निबंधित एवं कार्यरत सुक्ष्म, लघु, कुटीर, मध्यम एवं वृहद् उद्योग उद्यमी से निविदा आमंत्रित की जाती है। पूर्व के निविदा आमंत्रण संख्या–पी0आर 00960 (कल्याण) 2014–15 को रद्द किया जाता है।

2. निविदा के नियमों, शर्तों की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट www.scstwelfare.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। तकनीकी एवं वित्तीय बिड डॉकुमेन्ट विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर मो0 10000/–(दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार, पटना के नाम से संलग्न कर तकनीकी एवं वित्तीय बिड के प्रस्ताव अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में डालकर एक अलग मुहरबंद लिफाफे में डालकर निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति, कल्याण विभाग, ऑफिसर्स हॉस्टल ब्लॉक । बेली रोड, पटना के पद नाम से दिनांक 21.08.2015 को अपराह्न 3:30 बजे तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा उपलब्ध कराना होगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि लौटायी नहीं जायेगी।

3. क्रय समिति के समक्ष निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के कार्यालय कक्ष में सर्वप्रथम तकनीकी बिड डॉकुमेन्ट को दिनांक 21.08.2015 को अपराह्न 5:00 बजे खोला जायेगा। उक्त तिथि एवं समय पर निविदा दाता उपस्थित रह सकते हैं। वैसे निविदादाता जिनका तकनिकी निविदा क्रय समिति द्वारा स्वीकृत की जायगी वैसे निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा। दिनांक– 10.08.2015 को 4:00 बजे अपराह्न में निविदा से संबंधित पूच्छाओं के निराकरण हेतु निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, के कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें निविदा दाता के पृच्छाओं का निराकरण किया जायेगा।

4. आपूर्तिकर्ता के लिए निम्न अहर्त्ता/शर्तें आवश्यक है:–

(i) बिहार राज्य के सुक्ष्म, लघु, कुटीर, वृहद् एवं मध्यम उद्योग उद्यमी का निबंधन प्रमाण–पत्र।

(ii) आयकर प्रमाण–पत्र।

(iii) वाणिज्यकर वैट प्रमाण–पत्र।

(iv) आर्थिक स्थिति की जानकारी हेतु विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण रिपोर्ट जिसमें कम से कम प्रति वर्ष एक करोड़ या तीन वर्ष में कुल तीन करोड़ का टर्न ओवर होना चाहिए।

(v) स्टील के बक्से किसी भी सरकारी विभागों के शैक्षणिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण–पत्र लघु उद्योग उद्यमी/एजेन्सी/निबंधित संवेदक/फर्म या फर्म साझेदार के रूप में होना आवश्यक है।

(vi) अग्रधन के रूप में 24,00,000/-(चौबीस लाख रू0) का बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंन्टी जमा करना होगा जो निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के नाम से देय होगा। इस तरह के कार्य हेतु निबंधित सुक्ष्म एवं लघु उद्योग उद्यमी से अग्रधन की राशि नहीं ली जायेगी। निविदा में सफल होने पर अन्य एजेन्सियों से कार्य के लागत राशि का 03 प्रतिशत स्कियूरिटी मनी ली जायेगी जबकि लघु/सुक्ष्म उद्योग उद्यमी से अन्य एजेन्सियो से ली जाने वाली राशि का 20 प्रतिशत ही लिया जायेगा।

(vii) ऐसे आपूर्ति के लिए गुणवता एवं विशिष्टियों की शर्तो में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(viii) विभाग द्वारा संचालित अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों में सामानों की आपूर्ति पहुँचाकर देना होगा। सामग्रियों का भुगतान मुख्यालय/संबंधित जिला कल्याण कार्यालय से होगा।

(ix) निविदा दाता को यह शपथ-पत्र देना होगा कि उनके फर्म/एजेन्सी किसी सरकारी अर्द्धसरकारी संस्थानों/विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है एवं फर्म/एजेन्सी को आवंटित सभी कार्यो का सम्पादन कर दिया गया है। किसी भी समय दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(x) वित्तीय निविदा में सफल एजेन्सी को (स्टील के बक्से, स्टेण्ड एवं ताला-चाभी) विभाग के द्वारा निर्धारित साईज एवं मानक के अनुरूप ही सभी सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी।

(xi) निविदा के तकनीकी एवं वित्तीय बिड डोक्यूमेन्ट में उल्लेखित नियमों एवं शर्तो के आधार पर ही निविदा स्वीकार किया जायेगा।

(xii) निविदा आमंत्रण की अन्तिम तिथि एवं निर्धारित समय के पश्चात् निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

बिना कारण बताये सभी निविदाओं या पार्ट निविदा को स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

निदेशक।